महिला जन अधिकार समिति, अजमेर

वार्षिक रिपोर्ट

वर्ष : 2017-2018

महिला जन अधिकार समिति के बारे में

महिला जन अधिकार समिति एक **नारीवादी संस्था** है

जो समाज के हाशियाई समूहों और

खासकर **महिलाओं के लिए**

सम्मान,सुरक्षा और **सशक्तता** को

क्रियान्वित करने के लिए **महिलाओं के नेतृत्व –**

खासकर **युवा नेतृत्व** को बढावा देने के लिए

हरसंभव प्रयास करती है।

समिति हमारे देश के **संविधान की मूल प्रस्तावना;** और

मानव अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय–सार्वभौम घोषणा के

अन्तर्निहित दायरे के प्रति **प्रतिबद्व और जवाबदेह** है।

आमुख

महिला जन अधिकार समिति की कार्यकारिणी सभा और कार्यकारी टीम की ओर से यह वार्षिक रिपोर्ट 2017–2018 पेश करते हुए मुझे बेहद खुशी है। समिति कार्यकारिणी की ओर से मै समिति से जुडी पूरी टीम को बधाई देती हूँ जिन्होंने कठिन परिश्रम करके संस्था के प्रोजेक्ट्स को पूरी मेहनत के साथ कार्यक्षेत्र में संचालित किया। जैसे कि नाम से जाहिर है – संस्था में यह पूरा साल बहुत ही चहल–पहल भरा रहा। हमने अपने कार्यक्षेत्र में कई अभिनव प्रयोग किये–जो प्रोजेक्ट्स से भी आगे बढकर थे। जिसमें हमें राष्ट्रीय स्तर के कई जाने माने रिसोर्स संस्थाओं का सहयोग मिला। संस्था टीम को अपने स्किल, अपनी क्षमताओं को बढाने का अवसर मिला तो नजरिया विकसित करने के मौके भी मिले। हमने अपने कार्यक्षेत्र में बच्चों, किशोर–किशोरियों, युवाओं के साथ कई तरह अवसर बनाए ताकि उनसे जुडे विषयों पर संवाद हो, एक्शन हो और स्थितियों में बदलाव आये। गांवों की समस्याओं को समझने और संबोधित करने के लिए विलेज मेपिंग, सर्वे, साक्षात्कार और समूह चर्चाऍं हुई और उनसे प्राप्त डेटा यानि परिणामों को पुन लोगों के बीच सॉझा किया गया। बाल विवाह, बाल यौन शोषण पर अभियान के जरिये विभिन्न आयु समूहों तथा जिम्मेदार विभाग – जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पुलिस, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य व शिक्षा विभाग, ग्राम पंचायत के साथ संवाद व नेटवर्किंग बन पाया।

समिति ने 2015 की शुरूआत में यह निर्णय लिया था कि संस्थागत कार्यों में युवा लीडरशीप को बढावा देंगे और उन्हे ऐसे पोषित किया जाए कि वे संस्था में प्रमुख जिम्मेदारियां निभा सकें और आगे निर्णयात्मक भूमिकाएं भी ले पायें। इस दिशा में अच्छी प्रगति हो रही है,लगभग आधा स्टाफ नया और युवा है।

हमारी टीम के सदस्यों को बाहर जाकर अन्य संस्थाओं,सेमीनार,वर्कशॉप,प्रशिक्षणों में जाकर सीखने और अपने अनुभवों को बांटने का मौका भी मिला तो हमने औरों को अपने यहॉ होस्ट भी किया।

मैं आभारी हूँ सभी मित्र संस्थाओं –हक : सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड राइट्स एंड यू (CRY); राही फाउन्डेशन, अवेही अबेकस–मुम्बई, चाइल्ड लाइन इंडिया फाउण्डेशन, और व्यक्तियों एनाक्षी गांगुली ठुकराल, सीमंतिनी घुरू, अनुजा गुप्ता, नंदिनी राव, जिन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान के साथ अपने संदर्भ सामग्री और ट्रेनिंग मॉड्यूल को हमारे साथ खुले दिल से बांटा, हमारी संस्था के काम में विश्वास जताया और हमें समृद्व किया। युवा साथी रोहित जैन, जिन्होंने गांवों में घूमकर किशोर–युवा लडके लडकियों से दोस्ती बनाई और अपने स्किल शेयर किये।

हम दानदाता एजेंसी का शुक्रिया अदा करते हैं जिनके सहयोग के बिना यह सब करना संभव नही था।

मैं उन सभी गांवों और शहरी बस्ती के नागरिकों, युवा और बच्चों को खासतौर पर सेल्यूट करना चाहूंगी जिनकी वजह से हमें ऊर्जा, जोश और नई द्वष्टि लगातार मिलती रही।

साथियों, यह बदलाव का सफर अभी जारी है। बिना थके, बिना रूके अभी कई मीलों आगे जाना है।

अपने समाज में बदलाव के लिए ''मशालें लेकर चलना कि अब तक रात बाकी है'' इस सतत यात्रा के सभी सहयात्रियों को अभिवादन!!

एकजुटता के साथ,

इंदिरा पंचोली

विषय सूची

1. महिला जन अधिकार समिति के बारे में

- संस्था का विजन, मिशन
- प्रमुख आयाम–रणनीतियां
- संस्था की (भौगोलिक) पहुंच

2. सामाजिक बदलाव में सामुदायिक मॉबिलाइजेशन : संगठनात्मक गतिविधियां

3. सामाजिक बदलाव के लिए नेतृत्व विकास, क्षमता और कौशल निर्माण

4. शासन प्रणाली (सरकार) के साथ काम : नागरिक अधिकारों की सुनिश्चितता

5. सूचनाओं और ज्ञान का संवर्धन : डोक्युमेंटेशन, अध्ययन, प्रकाशन

7. संस्थागत प्रबंधन एवं वित्तीय व्यवस्था

–संस्थागत संरचना : कार्यकारिणी सदस्य एवं कार्यकारी टीम

– आर्थिक सहयोग

–लेखे– ऑडिट रिपोर्ट

संस्था का विजन

महिला नेतृत्व के जरिए एक ऐसे समता मूलक समाज के निर्माण की प्रक्रिया में शामिल रहना जिसमें सबके लिए सामाजिक न्याय और समता हो। सभी अपने नागरिक अधिकारों को प्राप्त कर पाए और अपनी व सभी की जिन्दगी को बेहतर कर पाए।

संस्था का मिशन

सामाजिक बदलाव के लिए उपेक्षित और दलित समुदायों के महिलाओं, युवाओं और बच्चों को शिक्षित, सक्रीय और सशक्त करना, अधिकारों की प्राप्ति के सामूहिक प्रयासों को बढावा देना।

संस्था का मिशन 2025

ऐसी 3000 महिलाओं, लडकियों और युवाओं को तैयार करना जो न केवल अपने नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हों बल्कि सामाजिक बदलाव के मुददों पर सार्वजानिक सक्रियता बनायेंगे। इनमें कम से कम 200 युवा लडकियां सशक्त होकर किसी न किसी क्षेत्र में सतत नेतृत्व कर पायें।

केन्द्रिय विषय

- महिला अधिकार एवं सशक्तिकरण
- युवा/महिला लीडरशिप : अभिव्यक्ति, आजादी, सहभागिता
- हर प्रकार की हिंसा के विरूद्व, बच्चों के अधिकारों की सुनिश्चितता, सुरक्षा एवं बचाव
- सेवाओं एवं स्कीमों से जुडाव, शासन व्यवस्था– पंचायतीराज, शिक्षा– स्वास्थ्य–बाल एवं जल्द विवाह (पसंदगी एवं यौनिकता, नियंत्रण) युवाओं के लिए अवसर।

काम की रणनीतियां

1. **सामाजिक बदलाव में सामुदायिक मॉबिलाइजेशन : संगठनात्मक गतिविधियां, समुदाय में पहुंच और पैठ बढाना।**
2. **सामाजिक बदलाव के लिए नेतृत्व विकास, क्षमता और कौशल निर्माण**
3. **शासन प्रणाली (सरकार) के साथ काम : नागरिक अधिकारों की सुनिश्चितता**
4. **सूचनाओं और ज्ञान का संवर्धन : डॉक्युमेंटेशन, अध्ययन, प्रकाशन, प्रचार–प्रसार सामग्री का संकलन और निर्माण।**
5. **साझेदारी,नेटवर्क,गठबंधन**

संस्था की (भौगोलिक) पहुंच :

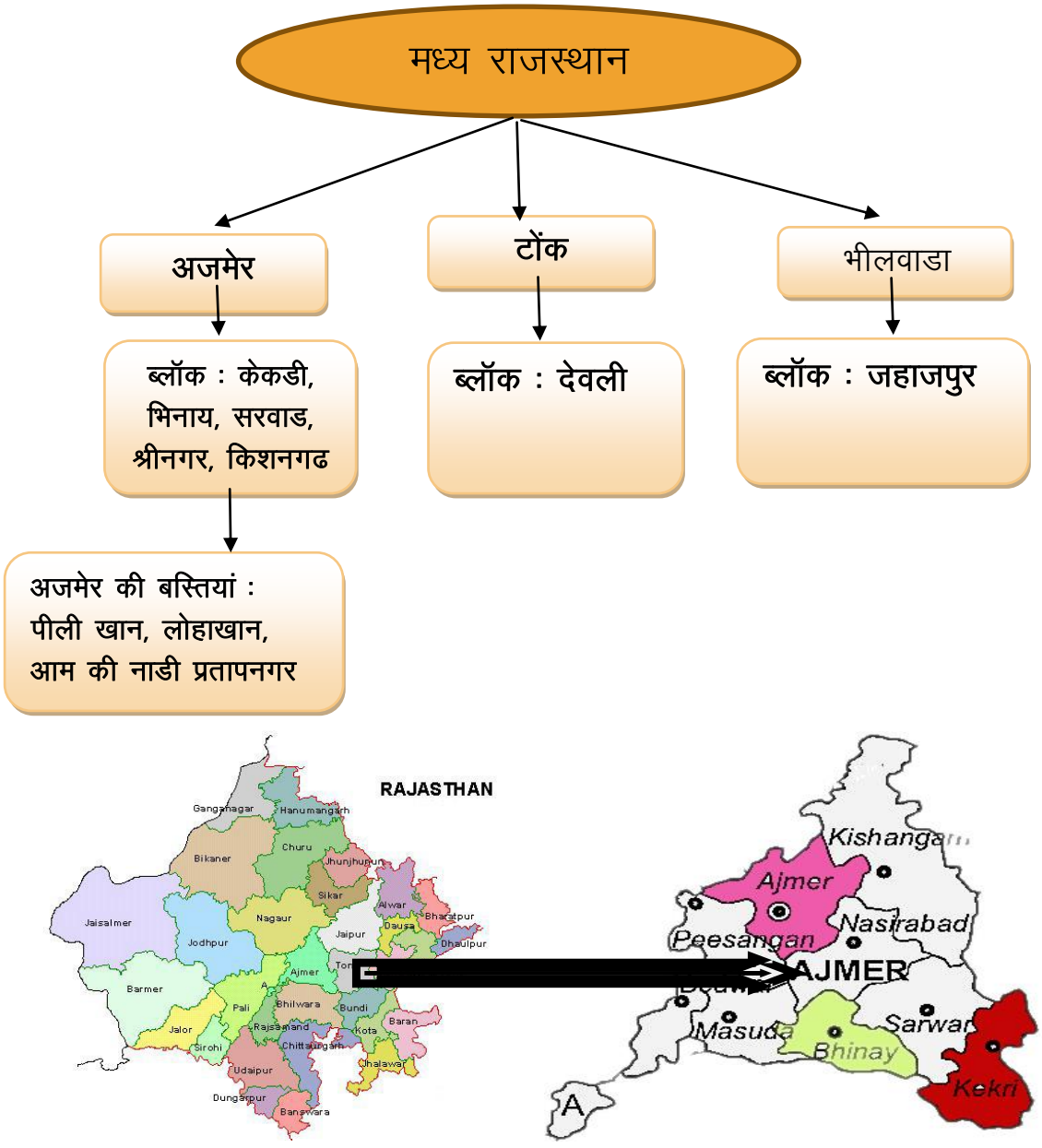

1. सामाजिक बदलाव में सामुदायिक मॉबिलाइजेशन : संगठनात्मक गतिविधियां, समुदाय में पहुंच और पैठ बढाना

महिला जन अधिकार समिति अपने शुरूआती दौर से महिलाओं, बच्चों, किशोर–किशोरी और युवा सशक्तिकरण तथा विकास के लिए दीर्घकालीन रणनीति बनाने व लागू करने के लिए प्रयासरत रही है। इस प्रयास में महिलाओं तथा उपेक्षित समुदायों के बीच सूचना, जानकारी का प्रसार करना तथा स्थानीय महत्व के मुददों पर पहलकदमी लेने मे संस्था ने उत्प्रेरक तथा फैसिलिटेटर की भूमिका निभाई है। सभी कमजोर एवं उपेक्षित समुदायों में महिलाओं व युवाओं के नेतृत्व को उभारने और विकास की मुख्यधारा में जोडने की दिशा में कार्य करना समिति का मुख्य ध्येय रहा है। सामाजिक बदलाव में सामुदायिक जागरूकता, मोबिलॉइजेशन को गति देने के लिए समुदाय के विभिन्न आयु समूहों : बच्चों, लड़के,

लड़कियों, युवा–युवतियों के समूहों तथा जागरूक नागरिक कमेटियों के साथ मिलकर काम किया जाता है।

- **बच्चों के विभिन्न आयु समूह : किशोर लड़के – लड़कियों के साथ काम :**

बच्चों के विभिन्न आयु वर्गो के साथ काम करने का उद्देश्य उन्हें सक्षम और जागरूक बनाना ताकि वे अपने अधिकारों को समझ पाएं, जानकारी युक्त हों/बने। वे अपने का सुरक्षित रखते हुए : अपनी बात कह पाएं – गलत बात के खिलाफ आवाज उठा सके, उपलब्ध अवसरों का पूरी तरह लाभ ले पाएं। बच्चों की एजेन्सी बने/स्थापित हो। इसके लिए बच्चों की आयुवार तीन श्रेणियां बनाकर काम किया जा रहा है जो इस प्रकार है :

बच्चों की आयुवार सारणी

आयु समूह	लड़की	लड़का	कुल बच्चे
6.–10	**859**	**861**	**1720**
11–14	**961**	**947**	**1908**
15–18	**670**	**824**	**1494**
कुल बच्चे	**2490**	**2632**	**5122**

6 से 18 आयु समूह के 5122 बच्चों के साथ काम किया जा रहा है। जिसमें 2490 लड़कियां और 2632 लड़के शामिल है।

तीनों आयु वर्ग के बच्चों, लड़के, लड़कियों के साथ की चलाई गई गतिविधियां / प्रक्रियाएं :

- बच्चों में अभिव्यक्ति कौशल, सहभागिता, आत्मविश्वास बढ़ाने तथा नेगोशिएशन व क्षमता विकास के लिए बाल व किशोर किशोरी समूहों को मजबूत बनाने और ज्यादा से ज्यादा बच्चों का जुडाव करने की गतिविधियां की गई। बाल अधिकार, जेण्डर, शिक्षा, स्वास्थ्य–पोषण, नागरिक अधिकार जैसे विषयों पर बैठकें, प्रतियोगिताएं, खेलकूद, एक्सपोजर विजिट,इंटरफेस, अभियान, रैली का आयोजन किया गया।

बाल समूह (6से 10 साल)

- बाल समूह : 20
- 561 बच्चों (लडकियां 248, लडके 313) का जुडाव
- बैठकों की संख्या : 123
- बैठकों में स्टोरी टेलिंग, नाटक, आर्ट,क्राफ्ट,गीत, कविता, थियेटर इन एज्यूकेशन व स्पोर्टस् गतिविधियां की गई।

किशोर – किशोरी समूह

- किशोरी समूह :19, किशोर समूह : 15
- किशोरी समूह में 386 तथा किशोर समूह में 220 लडके – लड़कियों का जुड़ाव
- किशोरियों के साथ 115 और किशोर लडकों के 90 बैठकें की गई।
- बैठकों के विषय : सपने–आकांक्षाएं स्वास्थ्य व स्वच्छता रिप्रोडेक्टिव चाइल्ड हेल्थ ,जीवनकौशल, जेण्डर भेदभाव, बाल यौन शोषण, बच्चों से जुडे कानून, योजनाएं बाल विवाह, शिक्षा इत्यादि

साथ–साथ कार्यक्रम : सुसंगत सहजीवन के सत्रों का संचालन

सामाजिक लिंग–भेद से जुडी हुई समस्याओं पर किशोर किशोरियों की समझ और नजरिया बनाने तथा उनसे निपटने के उपाय साथ मिलकर खोजने के उद्देश्य से इस बस्ते का उपयोग पिछले साल से किया जा रहा है। 12 सत्र के इस कार्यक्रम में इस साल में 286 बच्चों के साथ निम्न सत्र लिये गये–

1. **लिंग भेद क्या है?**
2. **किशोरावस्था में कदम**
3. **लिंग –भेद के बारे में मेरे विचार**
4. **लिंग–भेद के बारे में विचार कहां से आये?**
5. **लिंग–भेदभाव की शुरूआत घर में होती है**
6. **मुझ पर जो दबाव डाले जाते हैं**
7. **संचार के साधनों का प्रभाव**
8. **स्त्रियों का काम – अदृश्य पर अनमोल.**
9. **लैंगिक अत्याचार : छेड़–छाड़**
10. **लैंगिक अत्याचार : बलात्कार**
11. **एक सबल व्यक्ति वह है जो .....**
12. **खुद बदलो तो जग बदले**

साथ साथ से बच्चों में आए बदलाव :

इस प्रक्रिया से बच्चों में आत्मविश्वास, नेगोसिएशन क्षमता, अपनी बात को प्रभावी तरीके कह पाना की क्षमता विकसित हुई है तथा किशोरावस्था में होने बाले शरीरीरिक और मानसिक बदलाव पर जानकारी बढी। बच्चों की जानकारी और समझ का स्तर बढ़ा है। लडकों की सोच भी बदलने लगी है। 10 लडकें रोजाना घर के कार्यों में मां और बहनों का हाथ बंटाने लगे है।

बच्चों के लिए शिक्षा के अवसरों, ठहराव, नियमितता व शिक्षा पूरी होने तक के लिए किये गये कार्य

- शिक्षा से वंचित 65 बच्चों और ड्रॉपआउट 64 बच्चों को शिक्षा से जोडा गया।
- कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में 12 लडकियों को प्रवेश दिलवाये गए जिससे उनकी पढाई जारी रह पाई तथा गौना और बाल विवाह को रोक पाये।
- अम्बेडकर छात्रावास में शिक्षा से ड्रॉपआउट 7 लडको प्रवेश दिलवाकर स्थानीय सरकारी विद्यालय से जोडा गया।
- केकडी पंचायत समिति के मानखण्ड गांव जहां कि 15 से 18 साल की 50 लड़कियां ड्रॉपआउट और शिक्षा से वंचित थी उनके लिए शिक्षा लर्निंग केन्द्र आरम्भ किया गया जिसमें 40 बालिकाओं ने शिक्षा ली।
- काजीपुरा की कालबेलिया बस्ती में शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए सर्वशिक्षा अभियान के साथ पैरवी कर गैर आवासीय 6 माही शिक्षा केन्द्र का पुनः संचालन करवाया गया जिसमें 45 बच्चों ने शिक्षा प्राप्त की साथ में मध्याहन भोजन भी उपलब्ध करवाया गया।
- 6 –18 साल के स्कूल जाने वाले 4105 बच्चों (2060 लड़के, 2045 लड़कियां) की ट्रैंकिग कर नामांकन व ठहराव को बनाकर रखा गया। ट्रॉजिक्शन ट्रेकिंग की गई। इसे करने के लिए 4200 होम विजिट किये गये।

बाल यौन शोषण पर बच्चों की समझ और सतर्कता बढ़ाने के लिए **विद्यालयों, समुदाय में फिल्म शो व सत्र संचालन :**

गांव खरेखडी, खरेखडी खेडा, काजीपुरा, अजयसर के विद्यालयों तथा 10 गांव में बाल यौन शौषण पर कोमल फिल्म दिखाई। फिल्म शो में स्कूल अध्यापको की भी भागीदारी रही। कोमल फिल्म दिखाने के बाद बच्चो के साथ होने बाले यौन शौषण के मुददें को स्कूल अध्यापको ने गहराई से लिया। बाल यौन शौषण के मिथको के बारे में भी बच्चों और समुदाय को जानकारी दी गई। इसी तरह 10 गांव में बातचीत, पोस्टर,खेल के जरिये इस पर चर्चा बातचीत की गई। इसमें 433 बच्चे, किशोर

लडके–लडकियों, महिलाओं की भागीदारी रही। लड़कों के साथ भी बाल यौन उत्पीड़न होता है ये जानकारी महिलाओं और लड़के–लड़कियों के लिए नई थी। बच्चों की बात को गम्भीरता सुनने की जिम्मेदारी महिलाओं ने ली।

प्रभाव

- किशोर लड़के लड़कियों की सुरक्षित व असुरक्षित स्पर्श पर समझ बनी।
- माता–पिता मुद्दें की गभ्भीरता को समझे। उन्होंने माना कि है कि इस मुद्दें पर बच्चों से बात करना जरूरी है।
- चाचियावास की 12 साल की बालिका ने बैठके के बाद उसके साथ सालभर पहले मामा द्वारा हुए बाल यौन शोषण की बात साझा की।
- खरेखडी में लडकियों ने माना कि लडकों के साथ भी लैंगिक छेडछाड होती है जो बुजुर्ग महिलाएं लाडप्यार के नाम पर करती है।
- लडकियां इस विषय पर खुलकर बात करने लगी है।
- हासियावास की महिलाओं ने बचपन में हुए शोषण का साझा किया और इस विषय पर लडकों की समझ बनाने की बात की।

बाल विवाह, सगाई, गौने में देरी के लिए लगातार चर्चाएं, बातचीत करना, मां–बेटी संवाद आयोजन

लडकियों की अभिव्यक्ति को जगह देने और उनके सपनों, आकांक्षाओं, डर और चिंताओं पर बात करने के उद्देश्य से उनकी मांओं के साथ बातचीत करवाने की शुरूआत की गई तथा लगातार सम्पर्क व फोलोअप के जरिये लडकियों के व्यवहार में आ रहे बदलाव और मुद्दें पर उनकी समझ को ऑब्जर्व किया गया। 8 गांव में किशोर लड़कियों और मांओं के बीच बातचीत, चर्चाएं, इंटरफेस करवाया गया। जिसमें 105 माताएं और 84 किशोरी लड़कियां शामिल हुई।

प्रभाव :

मांओं और लडकियों के बीच बातचीत का मंच बना जिसमें लडकियों की शिक्षा, गौना और बाल विवाह में देरी करना, घर के काम का बंटवारे परीक्षा के समय पढ़ने का पूरा समय देने, गांव से बाहर जाकर पढने के अवसर देने खेलने का समय देने पर बातें हो पाई। मांओं ने लडकियों की बातों को सुना और लड़कियों को भी पूरे अवसर देने की जिम्मेदारी ली।

थियेटर इन एज्यूकेशन कार्यशाला : राज्य स्तरीय चिल्ड्रेन फेस्टीवल 1–5 अक्टूबर 2017 तक जयपुर में आयोजित किया गया जिसमें महिला जन अधिकार समिति से 24 बच्चों ने भाग लेकर थियेटर इन एज्यूकेशन टूल के जरिये अपने मुद्दों पर नाटक बनाये और प्रस्तुत किये।

नाटक, पपेट शो और जागरूकता के गीबाल समूह के बच्चों द्वारा 11 गांव स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस तथा बाल विवाह जागरूकता अभियान के दौरान,बालिका शिक्षा, जेण्डर भेदभाव, बाल विवाह शून्यकरण नाटक बनाकर नाटक और पपेट के जरिये समुदाय में मंचन किया तथा जागरूकता के गीत गाकर संदेश दिया।

संदेश दिया।

सामुदायिक पहल :

उद्देश्य –समुदाय के साथ मिलकर बच्चों के लिए सुरक्षा का माहौल बनाना और उनके विकास के लिए सभी उपलब्ध अवसरों को पूरी तरह से इस्तेमाल/लाभ दिलाने के प्रयास करना। समुदाय को सक्षम करना की वे अपने पिछड़ेपन से उभरकर मुख्यधारा में आए एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग हो पाए।
ग्राम स्तर पर जागरूक नागरिक कमेटी समुदाय आधारित संगठन जिसमें महिला और पुरूषों दोनो सदस्य है। संगठन में 25 से 50 साल की उम्र के लोग जुडने में रूचि रखते है। महिलाओं और युवाओं की संख्या ज्यादा है। ये सदस्य शिक्षा, स्वास्थ्य के मुददें, बाल विवाह, महानरेगा, सरकारी योजनाओं की जानकारी व मुददों के निराकरण पर पहल लेते है। इस साल में जागरूक नागरिक कमेटी का पुर्नगठन कर 88 युवाओं को शामिल किया गया तथा उन्हें चेंजमेकर के रूप में विकसित करने के लिए विभिन्न क्षमतावर्धन कार्यक्रमों में जोडा गया।

19 गांव में जेएनएस के साथ साल भर में 33 बैठके की गई। 495 सदस्यों की भागीदारी रही। इसके अलावा जेएनएस सदस्यों से साल भर में 172 बार अनौपचारिक और व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क रख बच्चों और गांव के मुद्दों पर बातचीत की गई। कमेटी सदस्यों ने स्कूल में पीने के पानी की सफाई, मिडे मील की मॉनीटरिग, गांव में पीने के पानी की व्यवस्था, श्रमिक कार्ड बनवाना, नरेगा कार्य आरम्भ जैसे समस्याओं को पंचायत स्तर पर उठा कर समाधान करवाया।

जागरूक नागरिक कमेटी की पहल
कार्यक्षेत्र के गांव सांकरियां में महानरेगा नही चल रहा था। काम आरम्भ करवाने के लिए कमेटी की महिलाओं ने गुलगांव ग्राम पंचायत मिटिंग 20.12.17 में अपनी बात रखी और प्रस्ताव लिखवा कर कार्य आरम्भ करवाया।
ग्राम पंचायत अजयसर में 22 दिसम्बर 2017 कमेटी की 20 महिलाओं और 12 युवाओं ने भागीदारी कर पंचायत में सडक/नल कनेक्शन, गन्दे पानी की निकासी के प्रस्ताव पंचायत बैठक में लिखवाए। इस पहल के बाद पाईप लाइन डाल दी गई है सडक निर्माण का काम शुरू हुआ।

2. सामाजिक बदलाव के लिए नेतृत्व विकास, क्षमता और कौशल निर्माण

बाल विवाह के विरूद्व अभियान किशोर–युवाओं के नेतृत्व में : बाल विवाह नही नही मेरी मर्जी के बिना कभी नही अभियान 12 से 18 अप्रैल 18 तक कार्यक्षेत्र के सभी 19 गांवों ,ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर चलाया गया। युवाओं किशोर–किशारी, बाल समूह के सदस्यों ने प्रमुख भूमिका ली और अभियान को सफल बनाया। केकडी ब्लॉक उपखण्ड अधिकारी , ताल्लुका विधिक के जज श्री मुकेश आर्य द्वारा तथा श्रीनगर ब्लॉक में जिला विधिक सेवा प्रधिकरण अजमेर के पूर्णकालिक सचिव श्री राकेश गोरा द्वारा अभियान का उद्घाटन किया गया।

नाटक,पपेट,फिल्म शो, रैली,संवाद,प्रचार प्रसार सामग्री के जरिये बाल विवाह रोकथाम व जागरूकता के लिए संदेश दिया गया और लगभग 4750 पुरूष, महिलाओं व बच्चों, सेंवाप्रदाओं तक साथ पहुंच बनाई गई।

अभियान कार्यक्रम :

क्र.सं.	ब्लॉक	मोबाइल वेन	पोस्टर चस्पा करना	पपेट शो,रैली	नाटक	हस्ताक्षर अभियान	फिल्म शो	अभियान के दौरान समुदाय पहुंच	जेण्डर गेम
1	श्रीनगर	15 गांव	15 गांव	15	8	300	8	2500	5
2	केकडी	20 गांव	20	20	10	400	8	2250	10
कुल		**35**	**35**	**35**	**18**	**700**	**16**	**4750**	**15**

महिला पिकनिक बीसलपुर पर डैम पर

बीसलपुर डेम के आंदोलन से जुडी महिलाओ के संघर्ष को समझना और उन्होने कैसे अपने बुनियादी

हकों –जीवन जीने, शिक्षा, स्वास्थ्य पर संधर्ष किया को जानने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम किया गया। इसमें पांच गांवों की 37 महिलाएं शामिल थी।

संस्था टीम का क्षमतावर्धन : संस्था टीम के कौशल विकास, स्वविकास, नजरिये को विकसित करने व नेतृत्व कौशल के लिए लगातार क्षमतावर्धन कार्यक्रम किये जाते है और नेटवर्कस् व संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भागीदारी की जाती है। **इस साल क क्षमतावर्द्वन कार्यक्रमों पर एक द्वष्टि :**

लडकियों के क्षमतावर्धन व नजरिया विकसित करने वाले कार्यक्रमों का आयोजन करना

- संगठन निर्माण व लडकियों के लिए सुरक्षित स्पेस बनाना
- स्वास्थ्य, प्रजनन एवं यौनिक अधिकारों पर समझ बनाना
- बाल विवाह रोकथाम व जागरूकता कार्यक्रम
- बालयौन उत्पीडन पर समझ बनाना : 13 गांव में किशोर लड़के, लडकियों और महिलाओं के साथ सत्र लिये गये जिसमें 433 किशोर लडके, लडकियों, महिलाओं तक पहुंच बनाई गई।
- आत्मरक्षा प्रशिक्षण – 2 कार्यशालाएं. 35 प्रतिभागी
- जेण्डर कार्यशालाएं : 3 47 प्रतिभागी
- कानून व अधिकारों की जानकारियां : 4 सत्र व 47 प्रतिभागी
- दिल्ली में नेशनल दूरदर्शन कार्यक्रम के लिए, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढाओं पर तथा दूसरा कार्यक्रम बाल विवाह पर आधारित था। उसमें क्रमशः 12 तथा 8 लड़कियों ने परिचर्चा में भाग लिया। इससे किशोरी लड़कियों में बहुत उत्साह आया है।

कार्यक्रम का नाम	दिनांक	प्रतिभागी संख्या	मुख्य मुददें
राही फाउण्डेशन द्वारा बाल यौन उत्पीडन पर दो दिवसीय काउंसलिंग कार्यशाला	27–28 जुलाई 2017	5	बाल यौन शोषण के सरवाईवर बच्चों और महिला की कांउंसलिग के तरीके
राजस्थान राज्य के बजट को समझने के लिए कार्यशाला	16 फरवरी 2017	1	• घरेलू बजट से राज्य का बजट समझना, बजट क्या है?, • राज्य बजट की संरचना–सरकार की आय के स्त्रोत सरकार के खर्च के मद, बजट शब्दावली, • बजट कोडिंग का तरीका, • बजट पुस्तकों से आंकडे व जानकारी देखना

महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर (समा संस्था) द्वारा अध्ययन किया गया जिसकी शेयरिग जय	30 अगस्त 17	2	जल्द विवाह से महिलाओं के स्वास्थ्य पर पडने वाले मानसिक और शारीरिक असर पर अध्ययन से निकली फाइडिग्स को शेयरिंग
सामाजिक परिवर्तन कार्यशाला	21–29 अगस्त 2017	1	• जाति,धर्म पितृसत्ता
राज्य स्तरीय चिल्ड्रेन फेस्टीवल	1–5 अक्टूबर 2017	24 किशोर लडके–लड़कियां	• थियेटर इन एज्यूकेशन टूल के जरिये शिक्षा,बाल विवाह पर नाटक बनाये और प्रस्तुत किये
अकाउण्ट कार्यशाला	1–2 नवम्बर 2017	2	• एफसीआरए बनाने की प्रक्रिया, प्रायर प्रमिशन के फारमेट व प्रक्रिया • ऑनलाइन सवाल–जवाब • जीएसटी कानून पर जानकारी
कच्ची मिट्टी पक्के इरादें कार्यक्रम दिल्ली	30 नवम्बर 2017	24	• बालविवाह, शिक्षा, सपने, आकांक्षाएं
फोटोग्राफी कार्यशाला : 5 दिवसीय	जनवरी 2018	12 किकि, युयु	कैमरे की कार्य प्रणाली फोटों खींचने के तरीके, प्रकार फील्ड में जाकर फोटोग्राफी करना फोटो स्टोरी
स्वास्थ्य एवं पोषण पर थियेटर इन एज्यूकेशन कार्यशाला	15 –17 फरवरी 2018	6	• बच्चों की नाटक टीम तैयार करना • स्वास्थ्य पोषण पर नाटक लेखन • जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार के तरीके
दिल्ली दूरर्दशन कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढाओ	8 मई 2017	12 किकि, यूयू	• लडकियों की शिक्षा एवं सुरक्षा
स्वास्थ्य एवं पोषण आमुखीकरण	3–7 तथा 10–13 जनवरी 2018	16 टीम सदस्य	• डेटा संकलन • टीकाकरण • कुपोषण • शिशु मृत्यु
आत्मरक्षा टीओटी	जनवरी, मार्च 2018	4	• शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनना • अंदर की ताकत की पहचान • मॉडयूल निर्माण
दिल्ली दूरदर्शन पर बाल विवाह पर	जनवरी 2018	8	बाल विवाह

चर्चा			

महिलाओं, युवा और बाल नेतृत्व को बढावा देना और लड़कियों के लिए शिक्षा और अवसरों का विस्तार : नई पहल नये कार्यक्रम

लड़कियों की आज़ादी, एकजुटता और सशक्तिकरण के लिए फुटबॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम

महिला जन अधिकार समिति, अजमेर और हकः सेण्टर फॉर चाइल्ड राइट्स के संयुक्त तत्वाधान में अजमेर जिले के ग्रामीण, अवसर विहीन किशोरियों और नवयुवतियों के लिए फुटबॉल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें अजमेर जिले के 4 गांवों की 300 किशोरियां शामिल है। इनमें से 167 लडकियां प्रतिदिन गांव में प्रशिक्षित कोच के मार्गदर्शन में फुटबॉल खेलती हैं।

फुटबाल खिलाडी लड़कियों का उम्रवार विवरण :

गांव का नाम	कुल फुटबॉल खिलाडी	अन्डर –12	अन्डर –14	अन्डर–16
हासियावास	28	13	11	4
चाचियावास	26	20	6	0
मीणों का नया गांव	45	19	15	11
सांकरियां	55	18	20	17
कुल				

167 लडकियां प्रतिदिन मैदान पर खेलती है। इनमें 12 साल के आयु समूह में 70 लड़कियां, 14 साल के आयु समूह में 52 लड़कियां तथा 16 साल के आयु में 32 लड़कियां है। इनमें 3 लड़कियां ड्रॉपआउट है तथा 25 बाल विवाहित है।

गतिविधियां :

1. फुटबाल कोचिंग आवासीय शिविर आयोजन : फुटबाल के दक्ष कोचज की कोचिग में तीन आवासीय शिविरों का आयोजन किया गया जिसमें 194 लड़कियों ने कोचिंग ली –

क्र.सं	कैम्प दिनांक	स्थान	लड़कियो की संख्या
1.	1–6 जनवरी 2017	पटेल मैदान अजमेर	60
2.	22–31 मई 17	मेयो कॉलेज ग्राउण्ड	83
3.	4–10 मई 18	मेयो कॉलेज ग्राउण्ड	51
	कुल		194

2. ग्राम स्तरीय स्पेशल ट्रेनिग : हर माह में 7 दिन कोचज द्वारा गांव के मैदान पर ही कोचिग करवाई गई। इससे लड़कियों के फुटबाल खेलने के स्किल में बढ़ोत्तरी हुई है।

3 .खेल मैदान पर लडकियों द्वारा नियमित प्रैक्टिस करना

प्रभाव :

- किशोरियां नेकर और टीशर्ट में फुटबाल खेलने मैदान पर आती है।
- फुटबॉल खेलने वाली 4 लड़कियों ने दसवीं कक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये है तथा फुटबाल खेलने वाली अन्य सभी लडकियां भी अच्छे नंबरों से उर्त्तीण हुई हैं। यह बताना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लडकियों ने जब खेलना शुरू किया था तो अध्यापकों का कहना था कि खेलने का कोई फायदा नहीं, पढोगी–लिखोगी तो फेल हो जाओगी।
- लड़कियां गांव से बाहर उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाने लगी है।
- लडकियों आत्मविश्वास बढा, शिक्षा से जुड़ाव बना।
- बाल विवाह, गोना को रोक पा रही है। माता पिता भी बेटियों के निर्णय पर सोच विचार करने लगे है।
- हासियावास गांव में लडकियों ने मिलकर गंगोज पर होने वाले भोज कार्यक्रम में जाने से इन्कार किया। लडकियों के साथ जीवन कौशल, जेण्डर और अधिकार, कानूनी और संवैधानिक अधिकार, कम्युनिकेशन स्किल, आत्मरक्षा आदि प्रशिक्षण से उनकी जानकारी का स्तर बढ़ रहा है। गांव से की गतिविधियों में जुडने से चुनौतियों को डील करना सीख रही है।
- परिवार में लड़कियों की बात को सुना जाने लगा है। माता पिता का बेटियों पर विश्वास बढा है। फुटबाल के आवासीय शिविर व अन्य प्रक्षिशण कार्यक्रमों में लडकियों को निःसंकोच होकर भेजने लगे है।
- लडकियां अपनी पढाई,खेल और अन्य जिम्मेदारियों के प्रति ज्यादा व्यवस्थित हुई है।टाइम मैनजमेंट करने लगी है।
- समूह में काम करने के तरीके सीख रही है जैसे – जिम्मेदारियों का बंटवारा, नेतृत्व कौशल, एक दूसरे का ख्याल रखना और जरूरत होने पर मदद करना इत्यादि।
- लडकियों के साथ जीवन कौशल, जेण्डर और अधिकार, कानूनी और संवैधानिक अधिकार, कम्युनिकेशन स्किल, आत्मरक्षा आदि प्रशिक्षण से उनकी जानकारी का स्तर बढ़ रहा है। गांव से बाहर की गतिविधियों में जुडने से चुनौतियों को डील करना सीख रही है।

- खिलाड़ी अपने गांव की अन्य लडकियों के लिए रोल मॉडल बन रही है तथा उनसे प्रेरित होकर अन्य लड़कियां भी स्पोटर्स में जुड़ रही है।

डिजिटल किशोरी बने सक्षम कम्प्यूटर : टेक सेण्टर

महिला जन अधिकार समिति, अजमेर द्वारा यंग वुमेन लीडरशिप प्रोग्राम के अंर्तगत टेक सेन्टर संचालित किया जा रहा हे। इसके लिए फैट टीम के अनुभवों से निकली सीखों और मॉडल को अपनाया गया हैं। किशोरियों के साथ काम करने में मूल समझ यही रही है कि लडकियों की जिन्दगी और विकास में जेन्डर और यौनिकता के सवाल अहम रहें हैं। इस कार्यक्रम में उन्हें हर पहलू में संबोधित किया गया हैं।

यह कार्यक्रम प्राथमिक रूप से उन किशोरी–युवा लडकियों के लिए है जिन्हें तकनीकी शिक्षा आसानी से हासिल नहीं होती,वे तरह–तरह की प्रतिकूल स्थिति में रहती है,उनकी आवाज उठाने और आवाजाही पर रोक है, अतः सेण्टर में नामांकन के लिए चयन प्रक्रिया का खास महत्व है। शहर की करीबी बस्तियों और करीबी गावों से लडकियों का चयन किया गया है। कोर्स 10 माह की समयावधि का है।

अजमेर टेक सेण्टर :

अजमेर की कच्ची बस्ती और गांवों की किशोरियों के साथ कम्प्यूटर तकनीक एवं शिक्षा की शुरूआत

मई 2016 में की गई थी। पहले बैच की 22 ट्रेनिंज को Course Completion सर्टिफिकेट दिये गये हैं। दूसरे बैच के लिए 60 लड़कियों ने रजिस्ट्रेशन किया था। जिनमें निर्धारित मापदण्ड के अनुसार से 26 को एडमिशन दिया गया था। उनका कोर्स भी मई 2018 में पूर्ण हो गया है। दोनो बैच में से 10 लड़कियां जॉब में चली गई हैं। 5 जुलाई 2018 तीसरा बैच आरम्भ किया गया है जिसमें 23 लडकियां है।

केकडी टेक सेण्टर

अजमेर टेक सेण्टर में लड़कियों की बढ़ती क्षमताओं और अच्छे परिणामों को देखते हुए केकड़ी में जनवरी 2018 से सेण्टर शुरू कर दिया गया है और 32 लड़कियों ने एडमिशन लिया है। इसके लिए अलग से ऑफिस लेकर लैब सेटअप किया गया है। मेरी सदुमहा जिन्हें अजमेर सेण्टर संचालन का दो साल का अनुभव है वो केकडी में संचालन कर रही हैं।

टेक सेण्टर की गतिविधियां :

1. कम्प्यूटर शिक्षा : नारीवादी सोच के साथ कम्प्यूटर कोर्स, पेन्ट,नौटपेड,माइक्रोसॉफ्ट आफिसः– वर्ड,एक्सेल,पीपीटी,इंटरनेट,जीमेल,ईमेल,सोशल मीडिया,डेस्कटॉप आदि सीखाया गया।

2. सेण्टर पर आने आने वाली लड़कियों के लिए हर शनिवार नजरिया, सोच बदलने के लिए जेण्डर, पितृसत्ता, हाशियाकरण, आत्मरक्षा, बालयौन शोषण पर कार्यशालाएं तथा महिला हिंसा, महावारी ,स्वास्थ्य एवं प्रजनन स्वास्थ्य, **प्रोजेक्ट** बनवाये।

3. शैक्षणिक भ्रमण :सेण्टर से जुड़ी लड़कियों को अजमेर से बाहर की गतिविधियों– किशोरी मेला, जयपुर, किशोरी खेल उत्सव, केकडी, अजयसर, दूरदर्शन कार्यक्रम दिल्ली में जोड़ा गया। इन लर्निंग इवेंट से लड़कियों का आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति बढ़ी है।

4. बैठके एवं जागरूकता : लड़कियों को अवसर मिले इस उद्देश्य से सेण्टर की लड़कियों के मौहल्ले,बस्तियों में बैठकें, होम विजिट, पोस्टर, पेम्पलेट जरिये चर्चा और बातचीत का माहौल बनाया गया।

प्रभाव :

- लडकियों का जुडाव बढा।

- लडकियों के लिए टेक सेण्टर सेफ स्पेस बना, जहां वो अपनी प्रोब्लम व मन की बात शेयर कर पाती है।
- लड़कियों का आत्मविश्वास बढ़ा जो उनके बाहर आने जाने,बातचीत करने में दिखता हैं
- 15 लडकियो ंकी नुक्कड नाटक की टीम बनी जिसमें लडकियों ने अजमेर के बजरंग चौराहा जो भीड से खचखच भरा रहता है पर जेण्डर भेदभाव एवं बाल विवाह पर नाटक प्रस्तुत किया। जिसे लगभग 200 व्यक्तियों ने देखा और सराहा।
- 5 लड़कियों को कम्प्यूटर पर जॉब मिला।

सभी महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य और पोषण

आउटकम	कवरेज एरिया
1. माता और बच्चे की स्वास्थ्य देखभाल और बच्चे की उचित देखभाल के लिए समुदाय और परिवार में जागरूकता लाना 2. बच्चें और मातृ स्वास्थ्य के मुददें पर स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी व बढोतरी 3. सभी बच्चों की प्रारंभिक बचपन (बाल्यावस्था)की देखभाल को सुनिशिचित करना जिसमें वे पर्याप्त देखभाल, पोषण और सुरक्षा प्राप्त करें। 4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उपस्वास्थ्य केन्द्र गुणवतायुक्त सेवाएं समुदाय को प्रदान	• **जिला अजमेर** • **ब्लॉक : श्रीनगर व केकडी** • **गांव : 15** • **ग्राम पंचायत : 12**

करे।	

आयु समूह	पुरूष	महिला	कुल
0–1 साल	101	90	191
1–5	466	443	909
6–14	992	949	1941
15–18	413	409	822
18 +	4538	4138	8646
कुल जनसंख्या	6497	6069	12566

स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रम नवम्बर 2017 से केकडी व श्रीनगर के 15 गांवों में आरभ्भ किया गया। स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए निम्न आयु समूह के शिशु,बच्चों,किशोरियों,गर्भवती और धात्री महिलाओं और समुदाय सदस्या कुल : 12,566 लोगों के साथ काम किया जा रहा है :

गतिविधियां

- बेसलाइन सर्वे : स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति आंकलन 15 गांव में
- टीम क्षमतावर्धन के लिए प्रशिक्षण, आमुखीकरण कार्यक्रम : 3 प्रशिक्षण
- 0–5 साल के बच्चों ओर गर्भवती धात्री महिलाओं की ट्रेकिंग व दस्तावेजीकरण करना टीकाकरण, प्रसव पूर्व व बाद की जांच करवाना
- 456 किशोरियों को स्वास्थ्य अधिकार के प्रति जानकरी देना व जागरूक करना तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जोडा गया।
- 86 अति व 105 मध्यम कुपोषित बच्चों की पहचान की गई रेफरल सेवाओं से जोडा, ग्रोथ मॉनीटरिग की गई, सामुदायिक प्रबंधन एवं कुपोषण के कारणों पर समुदाय के साथ चर्चाएं व बैठकें
- आंगनबाडी व उपस्वास्थ्य केन्द्र की सेवाओं को सुचारू, बेहतर करने के लिए नेटवर्किग
- मातृ व शिशु मृत्यु में कमी लाने के लिए समुदाय में ऐसा माहौल तैयार किया जिसमें वे पहले से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं लेने लगें है।
- मां का पहला गाढ़े दूध के प्रति महिलाओं की भ्रान्ति को दूर करके जन्म लेने वाले बच्चों को मां का पहला दूध मिले ये सुनिश्चित किया।

गर्भवती महिलाएं : टीकाकरण सारणी

बच्चों की टीकाकरण सारणी

विवरण	बालक	बालिका	कुल
कुल बच्चें	101	90	191
बीसीजी	52	64	116
पेंटा–1	47	59	106
पेंटा	43	50	93
पेंटा–3	30	32	62
खसरा / मिजिलस	14	18	32

विवरण	संख्यात्मक आंकडे
कुल गर्भवती	140
आंगनबाडी में पंजीकृत	129
टीटी–1	84
टीटी–2	61
बूस्टर	40

प्रमुख उपलब्धियां :

- 0–1 साल के बच्चों का टीकाकरण 40 प्रतिशत से बढकर 74 प्रतिशत हुआ।
- मां का पहला गाढा दूध पिलाना 15 प्रतिशत से 40 प्रतिशत हुआ।
- गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण 35 प्रतिशत से बढकर 69 प्रतिशत हुआ।
- गर्भवती महिलाओं की एएनएसी जांचे 23 प्रतिशत से बढकर 45 प्रतिशत हुई।
- धात्री महिलाओं की पीएनसी जांचे 32 प्रतिशत से बढकर 65 प्रतिशत हुई।
- संस्थागत प्रसव 62 प्रतिशत से बढकर 94 प्रतिशत हुआ।
- जननी सुरक्षा योजना से जुडाव 54 प्रतिशत से बढकर 91 प्रतिशत हुआ।
- हेल्थ केंप के माध्यम से 89 मरीज का ईलाज हुआ।
- स्वास्थ्य एवं पोषण पर थियेटर इन एज्यूकेशन प्रशिक्षण में 39 किशोर–किशोरियों ने नाटक सीखकर अपने–अपने गांवों में समुदाय जागरूकता किया।
- 20 गर्भवती,धात्री महिलाओं और अतिकुपोषित बच्चों के परिवारों में किचन गार्डन लगवाए प्रति 3 दिन में हरी सब्जियां मिल रही है।

3. शासन प्रणाली (सरकार) के साथ काम : नागरिक अधिकारों की सुनिश्चितता

सबको शिक्षा मिले, शिक्षा के समान अवसर मिले मुख्यरूप से लडकियों को, शिक्षा से जुड़ी समस्त सुविधाएं उपलब्ध हो तथा बच्चों को मैत्रीपूर्ण, सहज, सरल, सुरक्षित माहौल मिले जहां वो जानकार, जागरूक, सचेत और जिज्ञासु बने। इसी सोच समझ से शासन प्रणाली के साथ काम और नेटवर्किंग की जा रही है।

महिलाओं व बच्चों के खिलाफ हिंसा को संबोधित करना

चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 का संचालन

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के आर्थिक संसाधनों व चाइल्ड लाइन इण्डिया फाउण्डेशन, मुम्बई के मार्गदर्शन में संचालित है। महिला जन अधिकार समिति अजमेर में चाइल्डलाइन की सबसेण्टर संस्था है जो अजमेर जिले के तीन ब्लॉक – केकडी, भिनाय सरवाड में बाल संरक्षण पर काम कर रही है।

इस वर्ष में मुख्य प्रयास रहा कि समुदाय में बच्चों के मुद्दों पर समझ बने तथा उन्हें गभ्भीरता और प्राथमिकता से लेने की प्रक्रिया हुई बाल शोषण, यौन हिंसा के मामलों पर हस्तक्षेप तथा पुर्नवास के लिए कदम उठाये गये। साथ ही बच्चों के लिए राज्य की जिम्मेदार ईकाईयों– जिला बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज्य बाल संरक्षण आयोग, विशेष बाल पुलिस यूनिट के साथ गठबंधन कर बच्चों के मुद्दें कार्यवाही के लिए उठाये गये।

केस हस्तक्षेप :

इस साल में बच्चों के 95 मामले चाइल्ड हैल्पलाइन 1098 के जरिये दर्ज हुए जिन पर हस्तक्षेप कर बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया गया

विभिन्न श्रेणी के मामले	दर्ज मामले
मेडिकल हेल्प	13
मिसिंग	1
शेल्टर	3
प्रोटेक्शन फरोम अब्यूज	23
इमोशनल सपोर्ट एण्ड गाईडेन्स	6
रिस्टोरेशन	5
स्पोन्सरशिप	1
अदर इण्टरवेशन – योजनाओं से जुडाव, आरटीई वॉयलेशन के मामले	30
गुमशुदा बच्चों का पता ठिकाना मालूम करना व रिस्टोरेशन में मदद करना	5
चाइल्ड लेबर	8
कुल मामले	95

आउटरीच कार्यक्रम :

चाइल्ड लाइन परियोजना में 1098 की जागरूकता एवं प्रचार प्रसार के लिए कुल **102** आउटरीच की गई। जिसमें 82 स्मॉल ग्रुप तथा 20 ग्रुप आउटरीच की गई। आउटरीच के जरिये बच्चों के मुद्दों की पहचान और विभिन्न स्टेकहोल्डर्स को संवेदनशील व जवाबदार बनाने के लिए काम किया गया।

आउटरीच के लिए अपनाये गये तरीके

- बाल समूह द्वारा नाटक मंचन : 5 गांव
- बैठकें – किशोरी समूह, बाल समूह, महिला समूह, व जनप्रतिनिधियों के साथ : 49
- फिल्म प्रदर्शन : 8 गांव
- गीत,चित्रकला प्रश्नोत्तरी खेल कूद कार्यक्रम : 20 गांवों में
- पोस्टर, पंपलेट केनौपी – 5 मेलो तथा 10 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पोस्टर,पम्पलेट चस्पा करना, चर्चाएं, बातचीत की गई।

ओपन हाउस : आउटरीच में पहचाने गये मुद्दों पर दो गांव में ओपन हाउस का आयोजन किया गया ,जिसमें 205 बच्चों ने भाग लिया।

क्र. सं.	दिनांक	स्थान	बच्चों की भागीदारी	चर्चा के मुददें
1	8.12.17	भील बस्ती सरवाड	52	बालश्रम,शिक्षा,नशा
2	15.3.18	रा.मा.वि. मानखंड	205	बाल विवाह, बालिका शिक्षा

जिला स्तरीय नेटवर्किंग :

1. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना व बच्चों को मिलने वाली योजनाओं पालनहार, छात्रवृति, पेशन इत्यादि के लाभ लेने में आ रही दिक्कतों के बारे में बता कार्यवाही के लिए रखा। पालनहार योजना के योग्य 174 बच्चों की सूची बनाई गई। 88 बच्चों योजना से जोडा गया है। शेष 86 बच्चों के दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण आवेदन नहीं हो पाए है। दस्तावेज पूर्ण करवाने की प्रक्रिया चलाई जा रही है।

2. लीगल सर्विस ऑथोरिटी (विधिक सेवा प्राधिकरण)

जिला व ब्लॉक स्तरीय विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ नेटवर्क है, जिले स्तर पर होने वाली बैठको में संस्था प्रतिनिधि भाग लेते है। जिले स्तर पर बाल श्रम विरोधी दिवस, बाल दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, बाल विवाह विरोधी अभियान मानवाधिकार दिवस, महिला दिवस प्रोग्राम में संस्था टीम सदस्य जुडते है। प्राधिकरण द्वारा मिलने वाली सेवाओं की जानकारी ली गई। योजनाओ के पेम्पलेट दिए गए। बाल विवाह जागरूकता अभियान में प्राधिकरण का सहयोग लिया गया।

बाल यौन उत्पीडन के मामले में बालिका को पीडित प्रतिकार स्कीम से 3 लाख रूपये का मुआवजा दिलवाने के लिए पैरवी कर मुआवजा दिलवाया गया।.

3. **जिला बाल कल्याण समिति के साथ विभिन्न मामलों हस्तक्षेप के दौरान बच्चों से जुडे मामलों में आ रही समस्याओं को रखा गया।**

4.दलित व आदिवासी बच्चों के साथ विद्यालयों में होने वाले भेदभाव व हिंसा पर राज्य स्तरीय जन सुनवाई दलित अधिकार केन्द्र द्वारा 30 दिसमबर 2017 को जयपुर में आयोजित की गई। इसमें महिला जन अधिकार से दो बच्चों को जूरी सदस्य के लिए आमंत्रित किया गया।

5. बाल अधिकार व बाल विवाह जागरूकता पर बेहतर काम के लिए संस्था के 2 कार्यकर्ताओं को पंचायत समिति केकडी द्वारा 26 जनवरी 18 को सम्मानित किया गया।

6. विवाह नही, मेरी मर्जी के बिना कभी नही अभियान के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण, शिक्षा विभाग ,स्वास्थ्य विभाग, महिला एंव बाल विकास विभाग और ग्रामपंचायतो को अर्जी दी गई। जिसमें, शिक्षा विभाग, महिला एंव बाल विकास ने रुची दिखाई और आंगनवाडी कार्यकर्ता ओ को इस अभियान में जुडने के आदेश दिए।

7. विद्यालय प्रबंधन कमेटियों को फेसिलिटेट करना :

कार्यक्षेत्र के 6 विद्यालय राजपुरा, मीणों का नया गांव, नाचनबाबडी, हासियावास, बीरवाडा, मानखण्ड में स्कूल डवलपमेंट प्लान को लागू करवाने के लिए एएमसी को सहयोग दिया गया। बैठकों में भागीदारी लेकर एसएमसी सदस्यों को बैठकों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इन गांवों में कमेटियों ने निम्न कार्य किये –

- राजपुरा में खेल मैदान समतल करवाया गया तथा खदानों पर काम करने वाले बाल श्रमिक बच्चों को मुक्त करवाने का प्रस्ताव भी कमेटी ने लिया
- मीणों के नया गांव में स्कूल में अध्यापकों की पूर्ति, विद्यालय परिसर में गन्दे शब्द लिखना, कुर्सीयो की तोड–फोड, शराब पीना इत्यादि पर रोक लिए कमेटी ने विद्यालय का पिछला गेट बंद करवाया ताकि स्कूल टाइम के बाद कोई अंदर न आ सके। विद्यालय परिसर में, खेल मैदान की चारदिवारी निर्माण, शौचालय सफाई को नियमित किया जाने लगा।
- काजीपुरा में कालबेलिया बस्ती में सर्व शिक्षा अभियान की ओर से संचालित गैर आवासीय शिक्षा केन्द्र बच्चों का ठहराव करने और प्रतिदिन नियमित पोषाहार मिले की जिम्मेदारी को कमेटी सदस्यों ने लिया। स्कूल मैदान की साफ–सफाई, अनियमित बच्चों को नियमित करने की जिम्मेदारी कमेटी ने ली।
- 2 विद्यालयों –काजीपुरा, खरेखड़ी के क्रमोन्नत का प्रस्ताव कमेटी ने पूर्व लिया गया। अप्रैल 18 दोनों विद्यालय प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत हो गये हैं।
- नाचनबाबडी में अध्यापकों की नियमितता व पूर्ति, बच्चों का नामांकन व ठहराव बढाना के लिए काम किया गया।

8. जिला परिषद – ग्राम पंचायतों में प्रस्ताव लिखवाना, आगे ले जाना

- लसाडिया ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में ग्राम बाल संरक्षण कमेटी की बैठकों नियमित करने, स्कूलों मे पीने की पानी टंकी नियमित सफाई कराने के लिए प्रस्ताव दिए। इसके फलस्वरूप पानी टंकी सफाई हुई और कमेटी ने जिमेदारी लेकर इस काम को करवाया।
- सांकरियां गांव में खाद्य सुरक्षा एवं श्रमिक कार्ड बनवाने,नरेगा कार्य आरम्भ करवाने,वीएलसीपी की बैठके नियमित करने, गांव मेंसीसी रोड निर्माण के प्रस्ताव पंचायत में दिलवाये गये। पंचायत ने इन पर कार्यवाही कर श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए शिविर का आयोजन किया। जिसमें गांव के योजना के योग्य व्यक्तियों के कार्ड बनवाये तथा नरेगा का काम आरम्भ किया।
- ग्राम पंचायत अजयसर में महिलाओं ने पंचायत में सडक/नल कनेक्षन, गन्दे पानी की निकासी के प्रस्ताव पंचायत बैठक में लिखवाए। पाईप लाइन डाल दी गई है लेकिन उंचाई वाले स्थानो में पानी नही आता है। ग्राम पंचायत में महिलाओं के प्रस्ताव को गम्भीरता से लेते हुए सडक निर्माण करवाया।
- चाचियावास की फुटबॉल खेलने वाली लडकियों ने सरपंच को खेल मैदान के लिए अर्जी दी जिसमें मैदान की सफाई और चार दिवारी बनवाने की मांग की।
- बच्चों के मुद्दों पर चौपाल कार्यक्रम का आयोजन ग्राम पंचायत गुलगांव मे किया गया। जिसमें बाल विवाह,शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को सरकारी अधिकारियों के समक्ष रखी गई। ग्राम स्तरीय कमेटियों को ज्यादा मजबूत और सक्रिय करने की पैरवी की गई। इसमें लगभग 300 ग्रामीण शामिल हुए।

- ग्राम स्तरीय बाल सरंक्षण कमेटी व ग्राम पंचायत के काम को समझने के लिए 93 किशोर किशोरियों का एक्सपोजर विजिट करवाया गया। इस विजिट पर बबायचा ग्राम पंचायत की तरफ से लडकियों को खेल सामग्री के लिए 11 हजार रूपये की राशि दी गई।

- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं हेतु शिविर :ग्राम पंचायत गुलगांव में आयोजित दो दिवसीय सामाजिक सुरक्षा शिविर की जानकारी संस्था कार्यकर्ताओं द्वारा गुलगांव पंचायत से जुडें गांवों तक पहुंचाई ।सरकारी योजनाओं से जुडाव के आवेदन भरवाए। सांकरियां और गुलगांव के 150 लोगो के श्रम विभाग द्वारा असंगठित मजदूरों के लिए चलाई जा रही योजना में श्रमिक कार्ड हेतु आवेदन कराएं तथा 55 सदस्यों के खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आवेदन भरवाये गये।
- जिले और ब्लॉक स्तरीय अस्पतालों की स्वास्थ्य सुविधाओं का अस्समेन्ट –अजमेर में सैटलाइट, जनाना अस्पताल, सीएचसी– कादेडा,सावर,केकडी,सरवाड,श्रीनगर, पुष्कर का अस्सेमेन्ट किया गया।

4. .सूचनाओं और ज्ञान का संवर्धन : डॉक्युमेंटेशन, अध्ययन, प्रकाशन, प्रचार–प्रसार सामग्री का संकलन और निर्माण : इस वर्ष में निम्न सामग्री का निर्माण किया गया है :

1. संस्था की टीम ने यूनिसेफ गुजरात के लिए बाल विवाह रोकथाम के प्रशिक्षण कार्यक्रम और मॉडयूल निर्माण किया : यूनिसेफ की 'उडान परियोजना' के अन्तर्गत 500 से अधिक पीयर लीडर और स्थानीय संस्था कर्मियों को प्रशिक्षित किया और प्रशिक्षण मॉडयूल बनाया गया। पीयरलीडर्स के नेतृत्व विकास के लिए 3–3 दिन की 12 कार्यशालाओं का आयोजन किया। मॉडयूल कार्यशाला कर पीयर लीडर्स के लिए मॉडयूल बनाया गया।

2. बाल विवाह कभी नहीं पर फोटो स्टोरी एवं कलैण्डर का निर्माण किया गया।

3. बाल विवाह जागरूकता के लिए पोस्टर, होर्डिग निर्माण

4. भाईचारा, बंधुत्व, मानवीयता, बराबरी के लिए नारे और बैनरर्स का निर्माण

5. बाल पत्रिका आमली का प्रकाशन

6. बाल विवाह पर आई विल प्रिवेलेज शार्ट मूवी

7. राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा बच्चों के लिए संचालित 150 योजनाओं को संकलन किया गया।

8. स्वास्थ्य एवं पोषण तथा चाइल्ड प्रोटेक्शन पर सांप सीढ़ी का निर्माण

9. आठ जिलों की बाल कल्याण समिति की अस्समेंट की फाइनल रिपोर्ट

10. कम्प्यूटर टेक सेण्टर संचालन के लिए मॉडयूल निमार्ण

11. वेनलिडों – आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए ट्रेनर टीम निर्माण

मानव संसाधन

क्रम सं	नाम	पद	अनुभव वर्ष
1.	इन्दिरा पंचोली	कार्यकारी निदेशक (ऑनरेरी)	30
2.	संजय पलोड	लेखाकार	20
3.	भंवरी देवी	समन्वयक, महिला हिंसा	32
4.	करूणा फिलिप	स्टेट एडवोकेसी समन्वयक	17
5.	सिल्वेस्टर एरियल	प्रोजेक्ट समन्वयक	17
6.	महावीर प्रसाद	समन्वयक	18
7.	पदमा जोशी	समन्वयक	10
7.	गीता मोहनपुरिया	ब्लॉक समन्वयक	17
8.	छोटू सिंह रावत	चाइल्ड राइटस एक्टिविस्ट	06
9.	रणजीत केशावत	चाइल्ड राइटस एक्टिविस्ट	03
10.	शारदा नाथ	चाइल्ड राइटस एक्टिविस्ट	10
11.	नेराज गुर्जर	कम्युनिटी आर्गनाइजर	2
12.	धर्मीचंद	कम्युनिटी आर्गनाइजर	1
13	ममता जांगिड	कम्युनिटी आर्गनाइजर	2
14	मेहराज बानो	कम्युनिटी आर्गनाइजर	2
15	रेखा सोलंकी	समन्यवक	9
16	अंकिता मालू	कम्प्यूटर फैसिलेटर	1
17.	मैरी सदुमहा	कम्प्यूटर को – फैसिलेटर	1

संस्था कार्यकारिणी :

क्रम सं	नाम	पद	अनुभव वर्ष
1	**स्वर्णलता दुर्गापाल**	**अध्यक्ष**	**30**
2.	**ग्यारसी देवी**	**उपाध्यक्ष**	**22**
3.	**इन्दिरा पंचोली**	**सचिव**	**30**
4.	**करूणा फिलिप**	**कोषाध्यक्ष**	**17**
5.	**सुश्री अंकिता मालू**	**सदस्य**	**3**
6.	**सुश्री मेरी सदुमहा**	**सदस्य**	**4**
7.	**नुसरत नकवी**	**सदस्य**	**21**

इस साल हुए प्रोग्राम की झलकियां

बाल समूह की बालिका द्वारा गीत प्रस्तुतीकरण

पब्लिक प्लेस पर नुक्कड नाटक : महिला हिंसा नही सहेगें,

डिजिटल एम्पावरमेन्ट : किशोरियां बने सक्षम

बाल विवाह नही करेगें : समुदाय जागरूकता अभियान

फोटोग्राफी में बनी दक्ष : सीखी फोटोग्राफी की बारीकियां

खेलूंगी, खिलूगी, पढूगी, बढूगी

स्वस्थ रहने के सिखाए गुर

नाईखेड़ा में गर्भवती महिलाओं को पोषाहार वितरित करते चिकित्साधिकारी।

केकड़ी @ पत्रिका. महिला जन अधिकार समिति की ओर से स्वास्थ्य एवं पोषण परियोजना के तहत मंगलवार को समीपवर्ती नाईखेड़ा में पोषण दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीडीपीओ गिरिजा राणा, महिला पर्यवेक्षक फूलवासनवाल, चिकित्साधिकारी डॉ. मुकेश मीणा सहित अन्य ने गर्भावस्था के दौरान खानपान में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया। कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शनी के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण आदि के बारे में जागरूक किया गया। इसके साथ ही 11 गर्भवती महिलाओं को पोषाहार सामग्री से हलवा बना कर खिलाया गया। आयोजन में महिला जन अधिकार समिति के महावीर प्रसाद बैरवा, रणजीत सिंह केशावत, धर्मचन्द, नेराज, दिव्या, शोभा, प्रियंका, गणेश सहित अन्य ने सहयोग किया। इस मौके पर टीम ने गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए 5 घरों में किचन गार्डन लगाए।

ण यात्रा / उठावना

साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारी
ती पुष्पा बाई मकाणा
म्पत राज जी मकाणा का स्वर्गवास दिनांक
गया, जिनकी अन्तिम प्रयाण यात्रा दिनांक
को प्रातः 11 बजे निवास स्थान से प्रारम्भ
दिनांक 26-4-2018 को सुबह 11 बजे जैन
कार मंत्र जाप 10 से 11 बजे रखा गया है।
प्रकाशचंद, दुलीचंद, विमलचंद (पुत्र),
णा परिवार।
वार। मो. 9460287051, 7014209746
दिर के पीछे, नेहरू गेट बाहर, ब्यावर।

वंचित बच्चों के लगाए टीके

मेवदाकलां @ पत्रिका. महिला जन अधिकार समिति की ओर से संचालित स्वास्थ्य एवं पोषण परियोजना टीम के प्रयासों से मेवदा कॉलोनी में गुरुवार को 6 बच्चों का टीकाकरण किया गया। महिला जन अधिकार समिति के कार्यकर्ताओं ने बताया कि अनियमित टीकाकरण से वंचित बच्चों को लाभान्वित किया गया। एएनएम सुगनाराव ने टीम के साथ घर-घर जाकर बच्चों के टीके लगाए। इस मौके पर समिति के रणजीत केशावत व नेराज आदि ने सेवाएं दी।

दौरान आयोजित ...

हक के लिए आवाज करें बुलंद

केकड़ी के समीप बीरवाड़ा में मजदूर दिवस पर ग्रामीणों को कानूनी जानकारियों से अवगत करवाते महिला जन अधिकार समिति के सदस्य। पत्रिका

मजदूर दिवस पर आयोजन

केकड़ी @ पत्रिका. महिला जन अधिकार समिति के तत्वावधान में समीपवर्ती बीरवाड़ा गांव में मंगलवार को मजदूर दिवस मनाया गया। चाइल्ड लाइन एक्टिविस्ट रणजीत सिंह केशावत ने कहा कि तपती धूप में दिनभर मेहनत-मजदूरी कर परिवार का पेट पालने वाले अधिकतर मजदूर आज भी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से महरूम है। मजदूरों को अपना वाजिब हक लेने के लिए जागरूक होना होगा। कार्य करने वाले श्रमिकों का कहना था कि योजना के तहत इस वर्ष एक भी कार्य शुरू नहीं हो सका है। चाइल्ड लाइन टीम ने महात्मा गांधी नरेगा के तहत पंचायत सचिव के नाम ज्ञापन तैयार कराया। इस मौके पर समिति की मेहराज, प्रियंका बैरवा, शोभा ने भी विचार रखे। बैठक में महात्मा गांधी नरेगा एवं भवन निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिक उपस्थित रहे। संचालन रणजीत सिंह केशावत ने किया।

अराई. दस्तक मजदूर संघ की ओर से संगोष्ठी रामस्वरूप राजपुरोहित की अध्यक्षता में मनाई। इस दौरान मजदूरों को उनके हक व अधिकारों की जानकारी दी। असगठित क्षेत्र के मजदूरों को राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। संगोष्ठी में मजदूरों की समस्याओं पर चर्चा कर समाधान कराने

पपेट शो के जरिए महिलाओं को आयरन की गोली के फायदे बताए

अजमेर | महिला जन अधिकार समिति, अजमेर एवं क्राईः चाइल्ड राइट्स एंड यू, दिल्ली द्वारा धुवालिया नाड़ा-घूघरा में स्वास्थ्य एवं पोषण पर आयोजित समुदाय जागरूकता अभियान में 60 महिलाओं ने भाग लिया।

इस मौके पर आयोजित जागरूकता रैली में समुदाय को कुपोषण, टीकाकरण, स्वच्छता एवं साफ-सफाई, हरी सब्जियों का सेवन नियमित करने के बारे में नारे लगाए तथा पपेट शो के माध्यम से महिलाओं को आयरन की गोली के फायदे बताए। प्रोजेक्ट समन्वयक ... शारीरिक कमजोरी में हरी सब्जियां, दूध, दही, फल के सेवन की सलाह दी। आंगनबाड़ी पर मिलने वाले सूखे पोषाहार से हलवा बनवाकर महिलाओं को खिलाया गया।

गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं को सांप सीढ़ी के माध्यम से टीकाकरण, खानपान, अंधविश्वास, साफ-सफाई पर खेल-खेल में प्रभाव के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर रजनीबाला, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पिंकी गुर्जर, वार्ड मेम्बर संगीता गोपाल, समन्वयक, ममता जांगिड़, शारदा नाथ, छोटू सिंह रावत, संजय ...

बाल विवाह रुकवा, किशोरी को भेजा अजमेर

नाबालिग के चाचा पर जबरन शादी कराने का आरोप

सावर @ पत्रिका. महिला जन अधिकार समिति,चाइल्ड लाइन टीम व पुलिस प्रशासन ने बीती रात नाडी गांव में किशोरी का बाल विवाह रुकवाया। मौके पर किशोरी को अपने संरक्षण में लेकर केकड़ी उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पेश किया। वहां से उसे किशोरी गृह, अजमेर भेज दिया।

ग्राम नाडी में एक किशोरी का चाचा बूंदी जिले के गांव उमर निवासी एक युवक के साथ जबरन करा रहा था। 29 अप्रेल को किशोरी की शादी तय थी। बाल विवाह की सूचना स्वयं किशोरी ने चाइल्ड लाइन 1098 पर दी थी। ग्राम नाडी में चाइल्ड टीम पर किशोरी को साथ नहीं ले जाने के लिए दबाव भी बनाया गया, लेकिन टीम ने किसी की नहीं सुनी। किशोरी को संरक्षण में लेकर रात को ही केकड़ी उपखण्ड अधिकारी मीणा के समक्ष पेश किया। वहां पर उपखण्ड अधिकारी ने किशोरी के परिजन को बाल विवाह नहीं करने के लिए पाबंद किया गया। उधर, किशोरी ने परिजन के साथ जाने से मना कर दिया। इस पर उपखण्ड अधिकारी ने उसको अजमेर किशोर गृह भेजने के आदेश दिए। उल्लेखनीय है कि किशोरी के माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है। इस समय वह 10 कक्षा की छात्रा है। उसके चाचा जबरन बाल विवाह करना चाहते हैं।

बच्चों की पढ़ाई पर दिया जोर

सरवाड़| कस्बे के भील बस्ती में बुधवार को चाइल्ड लाइन सब सेंटर केकड़ी टीम ने दौरा किया। इस दौरान टीम ने एक बैठक आयोजित कर बच्चों की पढ़ाई पर जोर दिया।

को-ऑर्डिनेटर रणजीतसिंह कैसावत ने बताया कि भील समुदाय के लोगों को अपने बच्चों से घरेलु काम करवाने के बजाय उन्हें पढ़ाई करवाने के लिए जागरूक किया। सिंह ने परिजनो से छोटे बच्चों स्कूल भेजने की अपील की। इस पर परिजन एवं बच्चों ने पढ़ाई से जुड़ाव करने पर सहमति जताई। इस दौरान टीम सदस्य मेहराज, शोभा एवं गणेश शर्मा ने चाइल्ड लाइन कार्य शैली, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, टीकाकरण आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में भील समुदाय के बच्चे व अभिभावक एवं चाइल्ड लाइन टीम के सदस्य उपस्थित थे।